राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, "पंजीयन भवन, लोहागल–जनाना अस्पताल रोड़ (सीकर रोड़)", राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःएफ.7(482)मुख्य/विधि/17/3137 दिनांकः 16-8-17

समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
राजस्थान।

विषयः– मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में करने के सम्बन्ध में।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 35,37,51,53 व 55 में दर्ज मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 64,65,66 एवं 67 में निर्धारित प्रक्रियां के अनुसार किये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अनुसार कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में किया जाना अपेक्षित है।

मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ–7(482)मुख्य/विधि/16/485–656 दिनांक 30.3.2016, 2308–2322 दिनांक 26.10.16, 2864–2879 दिनांक 5.12.2016, 4455–4970 दिनांक 29.12.2016 एवं 1036–1586 दिनांक 11.7.2017 के द्वारा आपको समय–समय पर यह निर्देश दिये गये कि मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से किया जावे, किन्तु आपसे प्राप्त मासिक सूचना के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आपके यहां 90 दिवस से अधिक अवधि के काफी संख्या में मुद्रांक प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित है।

मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में नहीं होने से पक्षकारों को असुविधा होती है एवं राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व आय भी समय पर प्राप्त नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार एवं महालेखाकार के द्वारा भी मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में नहीं करने को गम्भीरता से लिया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके दर्ज मुद्रांक प्रकरणों का ठोस साक्ष्यों व सबूतों के साथ राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में निर्धारित प्रक्रियां के अनुसार 90 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप निस्तारण किया जावें।

उक्त निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में आपके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में इस आशय की प्रविष्ठि करते हुए राज्य सरकार को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जावेगा।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःएफ.7(482)मुख्य/विधि/17/3138–3737 दिनांकः 16-8-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. संयुक्त निदेशक, (कम्प्यूटर) मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट पर igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
9. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर/राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
10. समस्त उप पंजीयक, (पूर्णकालीन एवं पदेन) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
11. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय अजमेर।
12. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
13. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

सहायक विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-507-1